अपर जनपद एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय (उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986), कक्ष सं0–4, अलीगढ़
गैंगेस्टर सत्र परीक्षण संख्या 149/2010
राज्य बनाम इन्द्रपाल आदि

धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट
थाना इगलास, अलीगढ़

06–05–2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्तगण सतीश व गिर्राज हाजिर आये।

पत्रावली आज अभियुक्तगण सतीश व गिर्राज द्वारा पृथक–पृथक रूप से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र दिनांकित 8–8–2023 पर आदेश हेतु नियत है। उपरोक्त प्रार्थना पत्रों पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक को विगत तिथि पर सुना जा चुका है।

अभियुक्तगण सतीश व गिर्राज की ओर से पृथक–पृथक उन्मोचन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए दोनों प्रार्थना पत्रों में समान रूप से कथन किये गये हैं कि प्रार्थीगण उपरोक्त अपराध में पूर्व से जमानत पर हैं। प्रार्थीगण को उक्त अपराध में झूंठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण की पत्रावली न्यायालय में न मिनले के कारण उनके विरूद्ध गैर जमानतीय वारण्ट जारी हो चुके हैं। अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 12–5–2023 को अपने अधिवक्ता से सवाल मुआयना डालकर पत्रावली का मुआया कराया तब पता चला कि विवेचक द्वारा प्रस्तुत केस डायरी के पर्चा नं0 4 में मुकदमा अपराध संख्या 248 से 255 अर्न्तगत धारा–2/3 गैंगेस्टर एकट में प्रेषित आरोप पत्र को निरस्त कराने की रिपोर्ट दी गई है, जिसमें दिनांक 23–4–2000 अंकित है। केस डायरी के पर्चा संख्या–6 मुकदमा अपराध संख्या 249/1999 का अभियुक्त सतीश, मुकदमा अपराध संख्या 248/1999 विनोद व अपराध संख्या 250/1999 लक्ष्मी उर्फ अच्छो व अपराध संख्या 251/1999 अभियुक्त गिर्राज व अपराध संख्या 252/1999 का अभियुक्त भगवान सिंह व अपराध संख्या 254/1999 का होशियार सिंह व 253/1999 का अभियुक्त पप्पू व अपराध संख्या 255/1999 का अभियुक्त भगवती के विरूद्ध धारा–2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना गोण्डा में कार्यवाही की जा चुकी है। इनके आरोप पत्र निरस्त कराये जायेंगे, दिनांक 13–7–2000 अंकित है। केस डायरी के पर्चा संख्या–7 में अभियुक्त विनोद, सतीश, लक्ष्मी उर्फ अच्छो, गिर्राज, भगवान सिंह व भगवती के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट का अपराध न बनने से एस0पी0आर0ए0 द्वारा आरोप पत्र निरस्त किये गये हैं। अब इनकी एफ0 आर0 प्रेषित की जावेगी, दिनांक 16–7–2000 अंकित है। केस डायरी के पर्चा संख्या–8 विवेचना से अभियुक्त विनोद, सतीश, लक्ष्मी उर्फ लच्छो, गिर्राज, भगवती, पप्पू, होशियार के विरूद्ध पूर्व में ही थाना गोण्डा पर अपराध संख्या–168/1996 धारा–2/3 गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत होने से अपराध नहीं बनता है। केस डायरी के पचर्या नं0–9 व 10 में जिलाधिकारी अनुमति प्राप्त केस डायरी संलग्न हस्ताक्षर सी0ओ0 इगलास दिनांक 1–9–2000 अंकित है। आरोप पत्र दिनांक 12–3–2023 के पीछे सी0एस0 निरस्त की जाती है, अंकित है। जिस पर सी0 ओ0 प्रथम के हस्ताक्षर व सी0 एस0 निरस्त करने की संस्तुति की गई है। इस प्रकार अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। प्रार्थना की गई है कि अभियुक्तगण को उपरोक्त मामले में उन्मोचित किया जाए।

अभियुक्तगण गिर्राज व सतीश के विद्वान अविक्ता द्वारा विस्तार पूर्वक बहस करते हुए कथन किया गया कि मामले के विवेचक द्वारा प्रस्तुत केस डायरी में निष्पादित पर्चो व आरोप पत्र निरस्त किये जाने की आख्या दिनांकित 23–4–2000 की केस डायरी के पर्चे में उल्लिखित है। जिसमें यह तथ्य भी उल्लिखित किया गया है कि अभियुक्त विनोद, सतीश, लक्ष्मी उर्फ अच्छो, गिर्राज, भगवान सिंह व भगवती के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट का अपराध न बनने के कारण आरोप पत्र को निरस्त करते हुए मामले में अंतिम रिपोर्ट पेश की गई थी। आरोप पत्र दिनांकित 12–3–2023 के पृष्ठ भाग पर

Digitally signed by SANJAY KUMAR YADAV
Date: 2024.05.06 17:32:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सी0ओ0 प्रथम के हस्ताक्षर व हस्तलेख में आरोप पत्र को निरस्त किये जाने की संस्तुति की गई है, जिससे अभियुक्त सतीश व गिर्राज के विरूद्ध कोई अपराध नहीं बनने के आधार पर अभियुक्तगण को मामले में उन्मोचित किये जाने का कथन किया गया।

जबकि विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा विस्तार पूर्वक बहस करते हुए यह कथन किया गया कि (i) मुकदमा अपराध संख्या 255/99 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना इगलास जिला अलीगढ़ विरूद्ध अभियुक्त भगवती, (ii) मुकदमा अपराध संख्या 254/99 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना इगलास जिला अलीगढ़ विरूद्ध अभियुक्त होशियार, (iii) मुकदमा अपराध संख्या 253/99 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना इगलास जिला अलीगढ़ विरूद्ध अभियुक्त पप्पू, (iv) मुकदमा अपराध संख्या 259/99 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना इगलास विरूद्ध अभियुक्त गिर्राज, (v) मुकदमा अपराध संख्या 250/99 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना इगलास जिला अलीगढ़ विरूद्ध अभियुक्ता लक्ष्मी उर्फ अच्छो, (vi) मुकदमा अपराध संख्या 248/99 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना इगलास जिला अलीगढ़ विरूद्ध अभियुक्त विनोद, (vii) मुकदमा अपराध संख्या 249/99 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना इगलास जिला अलीगढ़ विरूद्ध अभियुक्त सतीश गुप्ता व (viii) मुकदमा अपराध संख्या 246/99 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना इगलास जिला अलीगढ़ विरूद्ध अभियुक्त राजू के रूप में उपरोक्त मामले में मामले के विवेचक द्वारा अंतिम रिपोर्ट दिनांक 18–7–2000 को प्रस्तुत किये जाने पर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी गैंगेस्टर न्यायालय, आगरा द्वारा अंतिम रिपोर्ट को निरस्त करते हुए आरोप पत्र पर संज्ञान लिया गया था। जिसके आधार पर अभियुक्तगण सतीश व गिर्राज को उन्मोचित किये जाने का कोई आधार नहीं है। जिसके आधार पर प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने का कथन किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सविस्तार सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त वर्णित मुकदमा (i) लगायत (viii) तथा मुकदमा अपराध संख्या 252/99 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना इगलास विरूद्ध अभियुक्त भगवान सिंह व पोंदा में विवेचना पूर्ण कर आरो पत्र सी0ओ0 पेशी में प्रस्तुत किये जाने पर तत्कालीन सी0ओ0 द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध मामले के विवेचक द्वारा प्रेषित आरोप पत्र को निरस्त करते हुए मामले में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित किये जाने हेतु विवेचक को इस आधार पर निर्देशित किया था कि अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट का अपराध नहीं बनता है। जिसके अनुक्रम से मामले के विवेचक द्वारा उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्याओं के बावत अंतिम रिपोर्ट संख्या 62/2000 लगायत 69/2000 दिनांक 18–7–2000 गैंगेस्टर न्यायालय, आगरा में प्रस्तुत किये जाने पर तत्कालीन गैंगेस्टर न्यायालय, आगरा द्वारा अंतिम रिपोर्ट को सुनवाई के स्तर पर अंतिम रिपोर्ट के पृष्ठ भाग पर दिनांक 21–10–2000 को अंतिम रिपोर्ट को निरस्त करते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट का संज्ञान लिया गया था। उपरोक्त समस्त तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण सतीश व गिर्राज के साथ–साथ अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट में लिये गये संज्ञान आदेश दिनांक 21–10–2000 को किसी भी रूप में कोई चुनौती नहीं दी गई है। यद्यपि दौरान मुकदमा अभियुक्त राजू पुत्र जगदीश की मृत्यु हो जाने से उसके विरूद्ध दिनांक 12–6–2023 को वाद उपशमित हो चुका है। अभियुक्तगण गिर्राज व सतीश द्वारा अपने–अपने उन्मोचन प्रार्थना पत्र में मामले के विवेचक द्वारा तैयार आरोप पत्र को सी0ओ0 पेशी में प्रस्तुत किये जाने पर सी0 ओ0 द्वारा आरोप पत्र को निरस्त किये जाने के ही तथ्यों के कथन के आधार पर अपने उन्मोचन प्रार्थना पत्र में कथन करते हुए स्वयं को उन्मोचित किये जाने के कथन किये गये हैं। मामले के विवेचक द्वारा तैयार व प्रस्तुत आरोप पत्र के संदर्भ में केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि तत्कालीन सी0ओ0 द्वारा अपने नोट में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि अभियुक्तगण विनोद, सतीश, लक्ष्मी उर्फ अच्छो, गिर्राज, भगवती, पप्पू, होशियार आदि के विरूद्ध किन आधारों पर गैंगेस्टर एक्ट का अपराध नहीं बनता है। विवेचना के स्तर पर संकलित गैंगचार्ट में उपरोक्त अभियुक्तगण इन्द्रपाल, राजू, छग्गा, विनोद, सतीश गुप्ता, लक्ष्मी, गिर्राज, भगवान सिंह, पप्पू, होशियार, भगवती व अरविन्द सिंह का अनुमोदन दिनांक 7–6–99 पत्रावली पर संलग्न फोटो प्रति दस्तावेज

संख्या 173 से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध लम्बित विभिन्न मुकदमों के संदर्भ से उनके विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किये जाने, तदोपरांत मामले के विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने पर बिना किसी आधार के तत्कालीन सी0ओ0 द्वारा आरो पत्र को निरस्त किये जाने पर मामले के विवेचक द्वारा सी0 ओ0 के आदेश के अनुपालन में मामले में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसे तत्कालीन गैंगेस्टर न्यायालय आगरा द्वारा निरस्त करते हुए आरोप पत्र पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट के अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया। गैंगचार्ट में उल्लिखित मुकदमों की दशा या उन्हें विवेचना के स्तर पर निर्णीत हो चुके होने या अन्य किसी आधार, तथ्य, साक्ष्य के अभाव में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि अभियुक्तगण गिर्राज व सतीश द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का कोई विधिक आधार नहीं है।

<u>आदेश</u>

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्तगण सतीश व गिर्राज द्वारा पृथक–पृथक रूप से प्रस्तुत किये गये उन्मोचन प्रार्थना पत्र दिनांकित 8–8–2023 निरस्त किये जाते हैं।

मामले के शेष अभियुक्तगण भगवती सिंह, होशियार, लक्ष्मी उर्फ अच्छो, विनोद, पप्पू जरिये गैर जमानतीय वारण्ट व धारा 82 द0 प्र0 सं0 नियत दिनांक के लिये तलब हों तथा उनके जमानतदारों को धारा 446 द0 प्र0 सं0 का नोटिस जारी हो। अभियुक्त सतीश व गिर्राज को आदेशित किया जाता है कि वह नियत दिनांक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें जिससे अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किया जाना सम्भव हो सके।

पत्रावली वास्ते हाजिरी मुल्जिमान/आरोप विरचन दिनांक **30–5–2024** को पेश हो।

(संजय कुमार यादव–प्रथम)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (गैगस्टर एक्ट),
कक्ष संख्या–04, अलीगढ